न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 06/2020

निर्णय दिनांक 03.04.2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का लूणखां तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर — प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजूपत साकिन जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

— अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

—निर्णय—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लूणखां ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह कौम राजूपत साकिन जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ने अप्रार्थी ने चक 15 के.पी.डी के मु.न. 100/20 कि.न. 21 ता 25 = 5.00 बीघा, 100/21 कि.न. 01 ता 05 = 5.00 बीघा कुल 10.00 बीघा अ.क. अराजीराज भूमि पर कृषि सम्वत् 2076 फसल रबी में अतिक्रमण कर तारामीरा की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 31.03.2020 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विश्वस्वास्थ्य संगठन (WHO) एंव संयुक्त राष्ट्रसंघ यू.एन.ओ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया गया है। जिसके कारण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू किया गया है।. लॉकडाउन होने के कारण नोटिस व्यक्तिशः तामिल होना सम्भव नही है। अतः उक्त नोटिस अप्रार्थी के भाई गिरवर सिंह के मोबाईल नम्बर 9460071354 पर वाट्सएप किये गये। जो कि अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने प्राप्त कर, अपने हस्ताक्षर मय दिनांक 27.03.2020 अंकित कर वापस भिजवाये। उक्त नोटिस जरिये वाट्सएप तामिल करवाये गये, जो शामिल मिसल किया गया। भू.अ.निरीक्षक सतासर व पटवारी हल्का लूणखां के द्वारा दिनांक 20.03.2020 को फसल कुर्की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू—राजस्व का 50 गुना 188/—अक्षरे एक सौ अटठयासी रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने के कारण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लागू किया गया है एवं श्रीमान जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट महोदय, बीकानेर द्वारा धारा 144 बीकानेर जिले में लागू की गई है, धारा 144 के तहत 5 व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नही हो सकते है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स रखने हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। अतः लॉकडाउन, धारा 144, कोरोना वायरस के संक्रमण की एडवाईजरी के मध्यनजर रखते हुये कुर्कशुदा फसल का कुन्ता बाजार भाव से तैयार कर अनुमोदनार्थ, बाद अनुमोदन की राशि मांग कायम कर राजकोष मे जमा करवाने हेतु भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बावत बावत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय तहसीलदार छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner